# मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी–अप्रैल, 2002 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 11 अप्रैल, 2002 (चैत्र 21, 1924)

**समय 10.30 बजे दिन**

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, लिमिटेड का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000–2001 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सत्येन्द्र पाठक, राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड का 26 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999–2000 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री जयसिंह मरावी, लवकेश सिंह, सदस्य, शहडोल जिले की करचुल जलाशय योजना में कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी न दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री प्रेमनारायण ठाकुर, जोधाराम गुर्जर, चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड विक्रय में अनियमितता किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री जयंत कुमार मलैया, सदस्य, दमोह नगरपालिका परिषद द्वारा जल प्रदाय करने में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4)) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, मुरैना जिले के जौरा निवासी एक व्यक्ति की संदिग्ध हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बाईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बाईसवें प्रतिवेदन से सहमत है."

### 5. वक्तव्य

श्री हजारीलाल रघुवंशी, राजस्व मंत्री, दिनांक 6 मार्च, 2002 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक–1177) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

### 6. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

2 घन्टे (शेष 1 घन्टा 20 मि.) (1) श्री राजा पटैरिया, राज्यमंत्री धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि "मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर विधेयक, 2002 (क्रमांक 8 सन् 2002) पर विचार किया जाय" –चर्चा का पुनर्ग्रहण.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (2) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि–उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 9 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

### 7. प्रतिवेदनों पर चर्चा

2 घन्टे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की तीसरी रिपोर्ट वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 तथा चौथी रिपोर्ट वर्ष 1996–97 एवं 1997–98, खण्ड II–12, मध्यप्रदेश और आयोग की तीसरी रिपोर्ट एवं चौथी रिपोर्ट में मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन पर चर्चा.

**भोपाल :**
**दिनांक : 10 अप्रैल, 2002**

**डॉ.ए.के.पयासी**
**सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**